फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

कृष्ण बनाम **देवीलाल**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 99 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील मे जारी हुए
20.08.2020	प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया वकील सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण अतिआवश्यक श्रेणी का पूर्व में इसी भूमि से सम्बधित वाद विचाराधीन है जिसमें राजीनामा पेश हो चुका किन्तु अप्रार्थी राजीनामा को तोड रहा है इसलिये प्रकरण अति आवश्यक श्रेणी का है सायल के निवेदन पर वाद का अवलोकन किया गया प्रकरण में राजीनामा पेश है का एक पक्षकार हस्तगत प्रकरण में पक्षकार है जिसे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में सुचना दी जानी आवश्यक है अतः अप्रार्थी संख्या 1 को दस्ती नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.08.2020 को पेश हो सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
21.08.20	पत्रावली पेश। [illegible] सायल उपस्थित अप्रार्थी [illegible] उपस्थित अप्रार्थी उपस्थित। सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल अप्रार्थीगण का आपस में राजीनामा हुआ था जिसे अप्रार्थी [illegible] भूमि [illegible] [illegible] वाद [illegible] राजीनामा वाद में पेश है अब अप्रार्थी राजीनामा से [illegible] भूमि का [illegible] कर रहा है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे की वाद भूमि की यथास्थिति कायम रखी जावे। हस्ब पत्रावली व [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया वाद में वादी व प्रतिवादी का राजीनामा पेश हो चुका है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में पाया जाता है अप्रार्थी	

Scanned with CamScanner

को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह रोही मौजा व्रानसर के खसरा नं. 474, 547 की कुल 8.7250 है. भूमि की आगामी ना: पेशी तक किसी की प्रशासनिक कार्यवाही रजिस्ट्री आदि किसी प्रकार का अन्य हस्तान्तरण [illegible] से न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे सम्मन व नोटिस की तामील पर स्थगन आदेश लागू नहीं होगा पत्रावली दिनांक 24/9/20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

24/9/20 [illegible]

24/9/20

वकील वादी उपस्थित निवेदन किया कि वह अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता खारिज किया जावे।

वादी स्वयं के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner